न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या :– 83/2021

प्रार्थीगण

1. सीमा पुत्री रूघनाथ उम्र 10 वर्ष
2. विष्णु पुत्र रूघनाथ राम उम्र 5 वर्ष जरिए कुदरती वली माता विमला पत्नी रूघनाथ राम उम्र 28 वर्ष जाति विश्नोई, भागभरे की बेरी पटवार हल्का राणासर कलां, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रूघनाथ राम पुत्र जगराम उम्र 28वर्ष
2. मोहनलाल पुत्र जगराम उम्र 26वर्ष
3. पूनमी देवी पत्नी जगराम उम्र 55वर्ष
4. पोकराराम पुत्र हरजीराम उम्र 80वर्ष, सभी जातियान विश्नोई, निवासी भागभरे की बेरी, पटवार हल्का राणासर कलां, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
5. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना।
6. तहसीलदार धोरीमन्ना।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते पाने अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 31/08/2021

अधिवक्ता:–

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–::निर्णय::– दिनांक:– 27/12/22

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 06 व 08 के तहत श्रीमान् के न्यायालय में सरहद मौजा–भागभरे की बेरी, पटवार हल्का–राणासर कलां, तहसील–धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 168 क्षेत्रफल 8.1342 हैक्टेयर, रकबा 50–05 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है वक्त सेटलमेंट उक्त खेत प्रार्थीगण परदादा मुतवफी हरजी के नाम अमल दरामद हुए उनके नाम से ही पर्चा लगान जारी हुआ और वर्तमान में हरजी के फौत होने पर उनके पुत्र जगराम व पोकर के नाम दर्ज हुआ जगराम के फौत होने पर उसके दो पुत्र व पत्नी पुनमी के नाम से दर्ज हुआ इसीलिए वर्तमान में रूघनाथ के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज हरजी के समय की पैतृक संपति से ली हुई होने से एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के सहदायिकी की आई हुई है। जिसकी चालू जमाबंदी साथ पेश है। ग्राम भागभरे की बेरी पटवार हल्का राणासर कलां तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 168 क्षेत्रफल 8.1342 हैक्टेयर रकबा 50–05 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जिनमें प्रार्थीगण के पिता का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है [illegible] उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार रूघनाथ के पुत्र [illegible] साथ सह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

27/12/22
सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में कायम हो गए इसीलिए रूघनाथ के दो संतान होने से हिन्दू विधि के पैतृकता के सिद्धांत अनुसार पिता के साथ पुत्र व पुत्री का बराबर हक हिस्सा होने से प्रत्येक का 1/18 – 1/18 हिस्सा बनता है इसीलिए प्रार्थीगण का व विप्रार्थी संख्या 1 का 1/18 – 1/18 हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थी संख्या 1 भोले स्वभाव के है तथा विप्रार्थी संख्या 2 बदमाश प्रवृत्ति का इसांन है जो भूमाफिया लोगों के साथ मिल कर विप्रार्थी संख्या 1 को बहला फुसलाकर व नशे के हालात में भूमि को अपने नाम करवाने अपने हक हिस्से से अधिक भूमि अजनबी क्रेता को सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने पर उतारू है जबकि विप्रार्थी संख्या 01 को अपना 1/18 हिस्से से अधिक बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि ऐसा करना विधि विरुद्ध है तथा प्रार्थीगण नाबालिग बच्चे है यदि विप्रार्थी संख्या 01 लोगों के बहकावे में आकर अजनबी लोगों को बैचान कर देता है तो प्रार्थीगण व उनकी माता भूमिहीन हो जाएंगे जिनके रहने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है इसीलिए उक्त आराजी की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति रखने हेतु अधिकारी है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा घोषित होने से पूर्व विप्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी का अधिकार नहीं है इसलिए उक्त राजस्व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भागभरे की बेरी पटवार हल्का राणासर कलां तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 168 क्षेत्रफल 8.1342 हैक्टेयर, रकबा 50–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में विप्रार्थी संख्या 01 व 03 किसी को बैचान हस्तांतरण व रहन इत्यादि नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व आवास में दखलंदाजी नहीं करे इस आशय की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, हस्तगत प्रकरण का निर्णय हम अस्थाई व्यादेश के मूलभूत तीन बिंदुओं के अनुसार करना उचित समझते हैं।

1– प्रथम दृष्टया मामला :– इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियो के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा–भागभरे की बेरी, पटवार हल्का–राणासर कलां, तहसील–धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 168 क्षेत्रफल 8.1342 हैक्टेयर, रकबा 50–05 बीघा किस्म बारानी सोयम में प्रार्थीगण का पिता अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व अभिलेख है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पर कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र एवं पुत्री हैं। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

27/12/22
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3– अपूरणीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही यदि वादग्रस्त आराजी का दौराने वाद के विचारण किसी भी प्रकार का बैचान/अंतरण होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी अस्थाई व्यादेश के तीनों बिंदुओं यथा प्रथम दृष्ट्या का मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति को साबित करने में सफल रहने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित और विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई व्यादेश भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का पारित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा सुदाबेरी खुर्द, पटवार हल्का–सुदाबेरी के खसरा संख्या 28/3 रकबा 38–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, राजस्व मौजा–शिवजी नगर पटवार हल्क–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 362, 364, 364/2 रकबा क्रमशः 0–07, 53–19, 24–08 बीघा किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम तथा राजस्व मौजा दुर्गाराम जोन्दु की ढाणी, पटवार हल्का–भीमथल के खसरा संख्या क्रमशः 6, 329, 355, 333 रकबा क्रमशः 27–11, 4–17, 51–06, 41–18 बीघा किस्म सभी की बारानी सोयम की आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन नहीं करें और न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर — सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को लिखाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/12/22

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner